वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-1 अनुभाग

*****

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री विनय कुमार, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक (डीजीएस एंड डी) की अध्यक्षता में 19 सितंबर, 2017 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

भारत में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) / एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री विनय कुमार, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक की अध्यक्षता में 19 सितंबर, 2017 को जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

I. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
II. सुश्री वंदना अग्रवाल, आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय
III. श्री प्रभास डँसना, बेहरा, ईडी (टीटीएस), रेल मंत्रालय
IV. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
V. श्री डी के राय, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय
VI. श्री जुबैर रिआज़ कमीली, निदेशक, कस्टम, सीबीईसी, राजस्व विभाग
VII. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
VIII. श्री पी सी धर, निदेशक, एनआईसी
IX. श्री सुविदित शर्मा, अकीको शर्मन इंफोटेक

2. चर्चा शुरू करते हुए, आईएमसी के अध्यक्ष ने आईएमसी के सभी सदस्यों से अपना परिचय देने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि नामित अधिकारी जो आईएमसी के सदस्य हैं, भविष्य में आईएमसी की बैठकों में भाग लेने के लिए हर संभव प्रयास करें। बैठक समय पर तथा नियमित अंतराल पर आयोजित की जा सकती है ताकि सुनिश्चित हो कि अनुमोदन प्रदान करने में कोई विलंब नहीं होता है।

3. किला रायपुर में प्रस्तावों से संबंधित रियायती संदर्भों को आईएमसी के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष ने राय व्यक्त की कि प्रणाली में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतिगत उपकरण के रूप में दिशानिर्देशों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जहां तक आईएमसी के दिशानिर्देशों का संबंध है, टिप्पणी की गई कि इसमें अन्य बातों के साथ मौजूदा सरकारी नीति तथा भावी आवश्यकता शामिल होनी चाहिए जो सुशासन के अनुसार संशोधनीय हो। आईएमसी के सभी सदस्यों ने सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में भावी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सदस्यों से नए आईसीडी / सीएफएस / एएफएस के लिए दिशानिर्देशों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपने इनपुट भेजने का अनुरोध किया गया जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। अनेक प्रस्तावों पर उनकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सीमा शुल्क से इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इससे लाजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए आईसीडी / सीएफएस / एएफएस की नई नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

3.1 आईएमसी के मौजूदा दिशानिर्देशों में सुझाए गए परिवर्तनों पर आईएमसी के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। आईएमसी के सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि सुझाए गए परिवर्तन तत्काल जारी किए जाएं ताकि सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारीय आयुक्त का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आईएमसी के विचारार्थ सभी आवेदन केवल आनलाइन प्रस्तुत किए जाएं। इसे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट तथा आनलाइन पोर्टल पर भी रखा जाना चाहिए (प्रति संलग्न)।

3.2 आईएमसी के संज्ञान में लाया गया कि वाणिज्य सचिव ने राजस्व सचिव को लिखा है कि सीबीईसी यह सुनिश्चित करे कि आवेदक के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन / टिप्पणियों की गति तेज करने के लिए क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्तों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं और आवेदकों द्वारा संभाव्यता प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर आईएमसी अनुमोदन जारी करे। आईएमसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए इसे दोहराया गया कि क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त डीपीआर / संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त करें और आवेदक द्वारा भूमि में निवेश किए जाने से पूर्व संभाव्यता के लिए उनकी जांच करें। यह आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की एक पूर्व शर्त होनी चाहिए।

3.3 आईएमसी को आनलाइन आवेदन करने के चरणों को अभिस्वीकार करते हुए अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि मौजूदा डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा एनआईसी द्वारा आनलाइन आवेदन की स्वीकृति एवं प्रोसेसिंग के लिए ई-साइन के विकल्प का भी पता लगाया जाएगा।

3.4 आईएमसी के संज्ञान में लाया गया कि आंतरिक विश्लेषण तथा सतत लेखा परीक्षा के आधार पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि सदस्य अपनी टिप्पणियां प्रदान करने में काफी समय ले रहे हैं। ऐसे मामले हैं जहां कस्टम ने आवेदन के परिचालित होने के बाद 6 माह से 1 साल तक संभाव्यता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने से मना कर रहा है। सर्वोच्च स्तर पर इस पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि सदस्य ऐसी समय सीमा का सुझाव दे सकते हैं जिसमें आवेदनों पर उनके द्वारा टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है ताकि दिशानिर्देशों में उनको शामिल किया जा सके। निदेशक (सीमा शुल्क) ने बताया कि नए आईसीडी / सीएफएस / एएफएस के लिए लागत वसूली आधार पर स्टाफ प्राप्त करना चिंता का विषय है और इसमें काफी समय लग जाता है जिससे सुविधा के क्रियाशील होने में विलंब होता है। अध्यक्ष ने निर्धारित किया कि आईएमसी की बैठकों में व्यय विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है।

3.5 आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय ने विशेष रूप से आईएमसी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि आईएमसी के दिशानिर्देशों में परिवर्तनों के लिए सुझाव देते समय सरकार की कुछ प्रक्रियाओं जैसे कि सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3.6 अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि ऐसी सुविधाओं के लिए परिकल्पित विजन पर एक सप्ताह के अंदर सभी विभाग अपनी टिप्पणियां प्रदान करें ताकि आईएमसी के दिशानिर्देशों में उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश में अवसंरचना विकास को ध्यान में रखते हुए संबंधितों द्वारा सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर का उदाहरण दिया जहां कस्टम धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किए जा रहे क्षेत्र की संभाव्यता की जांच अग्रिम रूप में कर सकता है।

4. किला रायपुर, लुधियाना, पंजाब में प्रस्तावित आईसीडी पर वीआईपी संदर्भों के संदर्भ में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सभी प्रस्ताव ट्रैफिक के उत्पन्न होने वाले अनुमानों पर आधारित हैं, जबकि सीबीईसी ट्रैफिक के मौजूदा आयतन के आधार पर उनका मूल्यांकन कर रहा है। पाया गया कि अनुमान वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर का प्रचालन आरंभ होने के बाद रेलवे द्वारा प्राप्त किए जा रहे अतिरिक्त ट्रैफिक पर आधारित हैं। रेल मंत्रालय से ट्रैफिक के अनुमानों का विश्लेषण करने का अनुरोध किया गया ताकि आईएमसी तद्नुसार कोई दृष्टिकोण अपना सके। सीबीईसी से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक के अनुमानों तथा ऐसे प्रस्तावों के लिए एलओआई में उपयुक्त शर्तें लगाने के लिए कानून के प्रावधानों पर समुचित रूप से विचार करने के बाद 10 दिन के अंदर प्रस्ताव पर अपनी राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आईएमसी को यह भी सूचित किया गया कि तीन प्रस्तावों के संबंध में पंजाब सरकार से टिप्पिणयां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

5. सीमा शुल्क तथा पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने जेएनपीटी तथा चेन्नई बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए जेएनपीटी तथा चेन्नई बंदरगाह पर किसी और सुविधा को मंजूरी प्रदान न करने के अपने मत को दोहराया। डीपीडी की प्रगति के आधार पर आगे चलकर इसकी समीक्षा की जा सकती है। निदेशक, पोत परिवहन ने बताया कि चेन्नई के आसपास नए बंदरगाह बन रहे हैं जिनमें क्षमता है। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि एन्नौर और कट्टूपल्ली जैसे आसपास के बंदरगाहों से ट्रैफिक प्राप्त करने वाले चेन्नई के आसपास सुविधाओं की स्थापना के प्रस्तावों पर सशर्त आधार पर विचार किया जा सकता है।

सीबीईसी से भविष्य में प्रचालन के पहलुओं पर विचार करने और फिर सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

6. निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा तद्नुसार निर्णय लिया गया :

I. 26 जुलाई, 2017 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आईएमसी ने 26 जुलाई, 2017 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

II. पुष्टि के मामले (02)

एजेंडा नंबर 1 : (पुष्टि का मामला)

ग्राम कट्टूपल्ली, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर, चेन्नई में मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 16/37/2015- इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 30 मार्च, 2017 को मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 2 : (पुष्टि का मामला)

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फार्चुना पोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 16/23/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 17 मई, 2017 को मैसर्स फार्चुना पोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

III. 03 मार्च, 2017 को आयोजित पिछली आईएमसी बैठक के आस्थगित प्रस्ताव (13)

एजेंडा नंबर 3 : (आस्थगित प्रस्ताव)

दक्षिण 24 परगना जिला, वाट्टगुज, सोनापुर रोड, कोलकाता में मैसर्स आलकार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/19/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 10 अगस्त, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 18 अगस्त, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया जाता है कि कोलकाता बंदरगाह के बिलकुल आसपास 4 सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं और अनुमोदन प्रदान करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/84/2016-ईआर दिनांक 15 सितंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-4033/2/2016- पीडी-V-भाग IV दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/14/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 21 जुलाई, 2017 के माध्यम से अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है।

आवेदक ने बताया कि अवसंरचना पूरी हो गई है तथा सुविधा को यथाशीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 04 : (आस्थगित प्रस्ताव)

फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स एस वी मल्टी लाजीटेक द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1)

आवेदन 27 अक्टूबर, 2015 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 14033/23/2014-पीडी-V दिनांक 02 दिसंबर, 2015 के माध्यम से बताया है कि वे परियोजना का समर्थन करते हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/179/2015-ईआर दिनांक 10 नवंबर, 2015 के माध्यम से बताया है कि इस मामले में प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के माध्यम से बताया है कि उक्त परियोजना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/22/2015-सीमा शुल्क-IV दिनांक 8 मार्च 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि क्षेत्राधिकारीय आयुक्त से प्राप्त संभाव्यता रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि उक्त परियोजना लाभप्रद नहीं प्रतीत होती है।

आईएमसी ने राय व्यक्त की कि सीबीईसी ने आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक के केवल वर्तमान अनुमानों पर विचार किया है तथा उनकी यह राय है कि सुविधा लाभप्रद नहीं होगी तथा यह कि आवेदक को अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। इस प्रकार परियोजना के लिए सीबीईसी द्वारा मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया।

एजेंडा नंबर 05 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम कालंबासुरे, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/09/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 13 अक्टूबर, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि स्थापित करने के लिए प्रस्तावित सीएफएस सड़क आधारित है। आईएमसी जेएनपीटी एरिया में सीएफएस की बहुलता के मुद्दे की जांच कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्हावा शेवा क्षेत्र में और आसपास 34 सीएफएस पहले से ही मौजूद हैं जिनमें से केवल 3 रेल आधारित हैं। आईएमसी में इस बात की पुष्टि की गई कि टिप्पणियों को अनापत्ति के रूप में माना जाए।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/34/2016-ईआर दिनांक 1 नवंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/2016-पीडी-V दिनांक 23 दिसंबर 2016 के माध्यम से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/19/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 1 मई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि चूंकि न्हावा शेवा बंदरगाह पर 33 सीएफएस पहले से ही क्रियाशील हैं, इसलिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (पीडीपी) पर इस समय दिए जा रहे बल को ध्यान में रखते हुए इस समय नए सीएफएस की स्थापना लाभप्रद नहीं हो सकती है।

चेन्नई और जेएनपीटी में विचाराधीन नए सीएफएस की स्थापना पर सीमा शुल्क तथा पोत परिवहन मंत्रालय के विरोध को स्वीकार करते हुए आईएमसी ने एलओआई जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की।

एजेंडा नंबर 06 : (आस्थगित प्रस्ताव)

रेवेन्यू सर्वे नंबर 2/1, ग्राम भोरारा, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स आर्गस कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस तथा बांडेड वेयरहाउस सुविधा की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/17/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 18 जुनाई, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय अपने ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान मुंद्रा बंदरगाह के आसपास सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा अनुमोदन प्रदान करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/63/2016-ईआर दिनांक 01 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/2/20156-पीडी-V-भाग-I दिनांक 13 जून 2017 के माध्यम से गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) द्वारा उल्लिखित शर्तों के अधीन अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/10/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 25 जुलाई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि परियोजना लाभप्रद प्रतीत नहीं होती है।

आईएमसी ने राय व्यक्त की कि सीबीईसी ने आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक के केवल वर्तमान अनुमानों पर विचार किया है तथा उनकी यह राय है कि सुविधा लाभप्रद नहीं होगी तथा यह कि आवेदक को अपने

मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। इस प्रकार परियोजना के लिए सीबीईसी द्वारा मंजूरी प्रदान न किए जाने के कारण प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया।

एजेंडा नंबर 07 : (आस्थगित प्रस्ताव)

किला रायपुर, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/12/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 18 जुनाई, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04 अगस्त, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्प्णी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 30 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 14 फरवरी 2016 के माध्यम से सूचित किया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान पहले से मौजूद आईसीडी / सीएफएस द्वारा हैंडल किए गए कंटेनर की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा, मौजूदा आईसीडी के वर्षवार निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि ये आईसीडी हैंडल करने की अपनी वार्षिक क्षमता से 50 प्रतिशत कम क्षमता पर औसतन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, बड्डी और डैपर में स्थित आईसीडी के पास लगभग कोई काम नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लिखित कंटेनर ट्रैफिक (टीईयू) का अनुमान काल्पनिक प्रतीत होता है।

आवेदक ने बताया कि ट्रैफिक के भावी अनुमानों के आधार पर निवेश किया गया है। इस समय वे लाजिस्टिक्स सुविधा में छोटे कंटेनरों का प्रचालन कर रहे हैं। बताया गया कि अनिश्चितता के कारण कार्गो रेल से सड़क की ओर शिफ्ट हुआ है। उम्मीद है कि भविष्य में समर्पित फ्रेट कोरिडोर के समानांतर प्रस्तावित कोरिडोर के बन जाने पर निर्यात के लिए रेल ट्रैफिक में वृद्धि होगी क्योंकि कम ट्रैफिक, कम हैंडलिंग प्रभार, पथकर आदि के कारण यह सस्ता होगा। चावल, धागा जिसका परिवहन इस समय सड़क मार्ग से होता है, से संबंधित कार्गो सुविधा तथा कम टैरिफ के कारण प्रस्तावित लोकेशन से परिवहन के माध्यम के रूप में रेल मार्ग पर शिफ्ट होगा।

आईएमसी को सूचित किया गया कि वाणिज्य सचिव ने उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ प्रस्ताव की जांच करने के लिए राजस्व सचिव को पत्र लिखा था। राजस्व विभाग / सीबीईसी ने सूचित किया कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजेंगे। उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ तथा उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक

पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राजस्व विभाग (सीबीईसी) से लंबित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी ने 10 दिन के अंदर सीबीईसी से प्रक्रियाधीन लंबित जवाब की अपेक्षित प्राप्ति पर विचार के लिए अगली बैठक का शीघ्रता से आयोजन करने का निर्णय लिया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि से इस बीच बोर्ड के संबंधित सदस्य की राय प्राप्त करने और शीघ्रता से आईएमसी को सूचित करने का अनुरोध किया गया।

एजेंडा नंबर 08 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम किला रायपुर, ढिल्लों, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/26/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 24 अक्टूबर, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/9/2016-ईआर दिनांक 08 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/2015-पीडी-V दिनांक 06 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 27 फरवरी, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/20/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 6 मार्च 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि क्षेत्राधिकारीय आयुक्त से प्राप्त संभाव्यता रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि प्रस्ताव में आयतन का जो अनुमान व्यक्त किया गया है वह वास्तविक एवं संभाव्य नहीं प्रतीत होता है।

आवेदक ने सूचित किया कि निवेश करने का निर्णय आवेदक का होना चाहिए। उन्होंने सूचित किया कि भारतीय रेल से रेल कनेक्शन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और वे रेल के माध्यम से 95 प्रतिशत से अधिक कार्गो का परिवहन करने में समर्थ होंगे।

आईएमसी को सूचित किया गया कि किला रायपुर में प्रस्तावों के संबंध में पंजाब सरकार से टिप्पणियां प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है जो प्राप्त नहीं हुई हैं। आईएमसी को सूचित किया गया कि वाणिज्य सचिव ने उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ प्रस्ताव की जांच करने के लिए राजस्व सचिव को पत्र लिखा था। राजस्व विभाग / सीबीईसी ने सूचित किया कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजेंगे। उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ तथा उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राजस्व विभाग (सीबीईसी) से लंबित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी ने 10 दिन के अंदर सीबीईसी से प्रक्रियाधीन लंबित जवाब की अपेक्षित प्राप्ति पर विचार के लिए अगली बैठक का शीघ्रता से आयोजन करने का निर्णय लिया।

रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि से इस बीच बोर्ड के संबंधित सदस्य की राय प्राप्त करने और शीघ्रता से आईएमसी को सूचित करने का अनुरोध किया गया।

एजेंडा नंबर 09 : (आस्थगित प्रस्ताव)

अहमदगढ़, लुधियाना, पंजाब में मैसर्स पंजाब लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/14/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 09 दिसंबर, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/146/2016-ईआर दिनांक 21 दिसंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/4/2017-एसएम दिनांक 28 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

उत्तर रेलवे के पत्र संख्या 86 टी/पीएफटी/टीजीपी/पीएलआईएल/यूएमबी दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा जारी किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 02 मार्च, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आवेदक ने सूचित किया कि यह सुविधा समर्पित फ्रेट कोरिडोर के फीडर रूट पर है। निर्यात किए जाने के लिए संभावित प्राथमिक कार्गो चावल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग तथा आटो कंपोनेंट हैं। मुख्य रूप से देश में अन्यत्र ऐसी सुविधाओं के सृजन के आधार पर हासिल कारोबारी सूझबूझ तथा भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जा रहा है। आवेदक द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2016 में ही घरेलू प्रचालन शुरू हो गया है।

आईएमसी को सूचित किया गया कि वाणिज्य सचिव ने उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ प्रस्ताव की जांच करने के लिए राजस्व सचिव को पत्र लिखा था।
राजस्व विभाग / सीबीईसी ने सूचित किया कि वे अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजेंगे। उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के साथ तथा उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राजस्व विभाग (सीबीईसी) से लंबित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आईएमसी ने 10 दिन के अंदर सीबीईसी से प्रक्रियाधीन लंबित जवाब की अपेक्षित प्राप्ति पर विचार के लिए अगली बैठक का शीघ्रता से आयोजन करने का निर्णय लिया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि से इस बीच बोर्ड के संबंधित सदस्य की राय प्राप्त करने और शीघ्रता से आईएमसी को सूचित करने का अनुरोध किया गया।

एजेंडा नंबर 10 : (आस्थगित प्रस्ताव)

नंबर 5, अरियालूर गांव, माधावरम तालुक, चेन्नई में मैसर्स सबरी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/20/2016-इनफ्रा-I)

आवेदन 02 जुलाई, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 08 सितंबर, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता और सड़कों पर परिणामी भीड़-भाड़ की मौजूदा समस्या की ओर आकृष्ट किया जाता है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/128/2016-ईआर दिनांक 04 नवंबर, 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/6/2017-एसएम दिनांक 28 मार्च, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आवेदक ने क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त की सिफारिश प्रस्तुत की जिसे निदेशक, सीमा शुल्क को प्रदान किया गया।

आईएमसी ने अपने दृष्टिकोण को दोहराया कि चेन्नई और जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि चेन्नई में काफी संख्या में सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं तथा चेन्नई क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना है। आवेदक ने सूचित किया कि क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त ने उनके मामले को स्वीकार कर लिया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया कि एन्नोर और कट्टूपल्ली में नए टर्मिनल बन रहे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एन्नोर और कट्टूपल्ली जैसे आसपास के बंदरगाहों से उत्पन्न ट्रैफिक के आधार पर चेन्नई के आसपास सुविधाएं स्थापित करने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। सीबीईसी से भविष्य में प्रचालन के पहलुओं पर विचार करने और फिर कट्टूपल्ली एवं एन्नोर के लिए सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 11 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम डिघोडे, तालुक उड़ान, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 31 अगस्त, 2015 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अगस्त 2015 के माध्यम से बताया है कि यह परियोजना सड़क आधारित है और इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 सितंबर, 2015 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय के इस विरोध को स्वीकार करते हुए कि चेन्नई तथा जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि जेएनपीटी मुंबई में 33 सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं और जेएनपीटी क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा लागू हो गई है, आईएमसी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की।

तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया कि बंदरगाह पर बन रहे चौथे टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए मार्च 2018 तक निर्णय आस्थगित किया जा सकता है जिस पर सहमति हुई, जिसके बाद यह समझा जाएगा कि आवेदन वापस ले लिया गया है और इसके बारे में विकासक को सूचित करना होगा।

एजेंडा नंबर 12 : (आस्थगित प्रस्ताव)

विचूर, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/31/2016-इनफ्रा-1)

आवेदन 06 जनवरी, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 16 जनवरी, 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता और सड़कों पर परिणामी भीड़-भाड़ की मौजूदा समस्या की ओर आकृष्ट किया गया है।

साथ ही डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि के लिए हाल की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सीएफएस की आवश्यकता की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/10/2016-ईआर दिनांक 17 जनवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/2/2017-एसएम दिनांक 13 जुलाई, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।
विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। विकासक से सीएलयू पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया कि एन्नोर और कट्टूपल्ली में नए टर्मिनल बन रहे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एन्नोर और कट्टूपल्ली जैसे आसपास के बंदरगाहों से उत्पन्न ट्रैफिक के आधार पर चेन्नई के आसपास सुविधाएं स्थापित करने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। सीबीईसी से भविष्य में प्रचालन के पहलुओं पर विचार करने और फिर कट्टूपल्ली एवं एन्नोर के लिए सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

एजेंडा नंबर 13 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मरानायकनहल्ली, तालुक अनेकल, बेंगलुरू, कर्नाटक में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा रेल लिंक्ड आईसीडी की स्थापना (फाइल संख्या 16/14/2015-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 20 अगस्त, 2015 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09 सितंबर, 2015 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है। तथापि, प्रमोटर द्वारा प्रस्तावित आईसीडी से एयर कार्गो की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8 सितंबर 2015 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अक्टूबर 2015 में बताया है कि आईसीडी की स्थापना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

आईएमसी को सूचित किया गया कि आवेदक ने रेल आधारित आईसीडी का प्रस्ताव किया था परंतु इसके लिए रेल लिंक प्राप्त करने में विलंब के कारण इसे सड़क आधारित सुविधा के रूप में प्रचालित किया जाना है जिसमें रेल मंत्रालय ने टिप्पणी की है कि इस सुविधा को वरीयत: रेल आधारित सुविधा के रूप में विकसित किया जाए। परिवहन विभाग, कर्नाटक सरकार से मांगा गया स्पष्टीकरण प्राप्त करने के कार्य को गति दी जाए।

आईएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि अनेकल, बंगलौर के पास अन्य प्रस्ताव भी हैं जो राज्य में लाजिस्टिक्स कोरिडोर के रूप में निर्मित हो सकते हैं। सीबीईसी से अभी तक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 14 : (आस्थगित प्रस्ताव)

उड़ान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा सीएफएस एंड एग्रीपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/20/2014-इनफ्रा 1)

प्रस्ताव 16 अक्टूबर, 2014 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय : कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 नवंबर 2014 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह परियोजना रेल आधारित नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 जनवरी, 2015 के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ शर्तों के अधीन प्रस्ताव पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/12/2014-सीमा शुल्क-IV दिनांक 29 अगस्त 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि चूंकि न्हावा शेवा बंदरगाह पर 33 सीएफएस पहले से ही क्रियाशील हैं, इसलिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी पर इस समय दिए जा रहे बल को ध्यान में रखते हुए इस समय नए सीएफएस की स्थापना लाभप्रद नहीं हो सकती है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय के इस विरोध को स्वीकार करते हुए कि चेन्नई तथा जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि जेएनपीटी मुंबई में 33 सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं और जेएनपीटी क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा लागू हो गई है, आईएमसी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की।

तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया कि बंदरगाह पर बन रहे चौथे टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए मार्च 2018 तक निर्णय आस्थगित किया जा सकता है जिस पर आईएमसी ने सहमति व्यक्त की, जिसके बाद यह समझा जाएगा कि आवेदन वापस ले लिया गया है और इसके बारे में विकासक को सूचित करना होगा।

एजेंडा नंबर 15 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मोटा कपाया, तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में मैसर्स गणत्रा टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/03/2017-इनफ्रा-1)

आवेदन 17 जनवरी, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 01 फरवरी, 2017 के माध्यम

से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान मुंद्रा बंदरगाह के आसपास सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे तथा डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) के संवर्धन के लिए उपभोक्ताओं की नवीनतम पहल की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका सीएफएस में कंटेनर के मूवमेंट पर प्रभाव पड़ेगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/16/2017-ईआर दिनांक 07 फरवरी, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/3/2017-एसएम दिनांक 13 जून, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी को अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजनी चाहिए।

नए प्रस्ताव (11) :

एजेंडा नंबर 16 : (नया प्रस्ताव)

गुजरात राज्य के राजकोट में मैसर्स आला एग्रोपावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/06/2017-इनफ्रा-I)

आवेदन 13 अप्रैल, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया।

आईएमसी के सभी सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।
नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/67/2017-ईआर दिनांक 28 अप्रैल 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/11/2017-सीमा शुल्क-IV दिनांक 31 जुलाई 2017 के माध्यम से अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/12/2017-एसएम दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

सुविधा के लिए रेल कनेक्टिविटी के संबंध में पूछताछ पर विकासक ने बताया कि यह राजकोट स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर और मुख्य राजमार्ग पर है। सुविधा के लिए रेल कनेक्टिविटी हेतु भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 17 : (नया प्रस्ताव)

वेमगल औद्योगिक क्षेत्र, कूरगल गांव, वेमगल हुबली, तालुक एवं जिला कोलार, कर्नाटक में मैसर्स सत्व सीएफएस एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/08/2017-इनफ्रा-1, सी नंबर 3087171)

प्रस्ताव 05 अप्रैल, 2016 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/65/2017-ईआर दिनांक 19 अप्रैल 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/14/2017-एसएम दिनांक 13 जुलाई 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है तथा कहा है कि प्रस्तावित सीएफएस कर्नाटक के मुख्य क्षेत्र में है और कर्नाटक में न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) एक मात्र बड़ा पोर्ट है, इसलिए सीएफएस के प्रमोटर को पोत परिवहन की गतिविधियों की सभी आवश्यकताओं के लिए एनएमपीटी की सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जाए।

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। इस प्रकार सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी को अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजनी चाहिए।

एजेंडा नंबर 18 : (नया प्रस्ताव)

वेरनामा, जिला वड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/29/2016-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 26 अप्रैल, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/71/2017-ईआर दिनांक 4 मई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/10/2017-एसएम दिनांक 18 मई, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 30 अगस्त, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आईएमसी के अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि कोंकोर सक्षम प्राधिकारी से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए है क्योंकि प्रस्ताव के साथ कोई सीएलयू प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी को अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजनी चाहिए।

एजेंडा नंबर 19 : (नया प्रस्ताव)

गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/01/2017-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 27 अप्रैल, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/70/2017-ईआर दिनांक 4 मई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/11/2017-एसएम दिनांक 18 मई, 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 07 जुलाई, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आईएमसी ने राय व्यक्त की कि स्वामित्व तथा भूमि प्रयोग परिवर्तन के प्रमाण के रूप में रेल मंत्रालय का प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। तथापि, सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है। सीबीईसी को अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजनी चाहिए।

एजेंडा नंबर 20 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम वेश्वी, तालुक उड़ान, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स एमएसए ग्लोबल लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/02/2017-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 31 मार्च, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/61/2017-ईआर दिनांक 10 अप्रैल 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 05 अप्रैल, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान जेएन बंदरगाह के आसपास सीएफएस की बहुलता के वर्तमान मुद्दे तथा डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) के संवर्धन के लिए उपभोक्ताओं की नवीनतम पहल की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका सीएफएस में कंटेनर के मूवमेंट पर प्रभाव पड़ेगा।

पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। आईएमसी के संज्ञान में लाया गया कि आवेदक इंस्टक ट्रेड रूट को बढ़ावा देने में सरकार का साझेदार है।

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय के इस विरोध को स्वीकार करते हुए कि चेन्नई तथा जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि जेएनपीटी मुंबई में 33 सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं और जेएनपीटी क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा लागू हो गई है, आईएमसी ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की, जिसकी सूचना विकासक को प्रदान की जा सकती है।

एजेंडा नंबर 21 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम थिमंगरि पलेम, चिल्लाकुरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सिम्हापुरी फार्मर्स एग्री पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/05/2017-इनफ्रा-I)

प्रस्ताव 10 फरवरी, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 20 फरवरी, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/43/2017-ईआर दिनांक 9 मार्च 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

विकासक से लेआउट प्लान, निदेशकों का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। निदेशक (पोत परिवहन) ने बताया कि कृष्णापट्टनम छोटा बंदरगाह है जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। पोत परिवहन मंत्रालय तथा विकासक को राज्य सरकार के निदेशक (बंदरगाह) की टिप्पणियों को गति देने तथा अपनी सिफारिश प्रदान करने की सलाह दी गई। इस प्रकार सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 22 : (नया प्रस्ताव)

चेन्नई में मैसर्स वेमार्क सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2016-इनफ्रा-I)

प्रस्ताव 24 अप्रैल, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 04 मई, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है। तथापि, आईएमसी का ध्यान सीएफएस की बहुलता और चेन्नई क्षेत्र में सड़कों पर परिणामी भीड़-भाड़ की मौजूदा समस्या की ओर आकृष्ट किया गया है। साथ ही डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि के लिए हाल की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सीएफएस की आवश्यकता की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/72/2017-ईआर दिनांक 4 मई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या सी1-25021/9/2017-एसएम दिनांक 13 जुलाई, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

आईएमसी ने अपने दृष्टिकोण को दोहराया कि चेन्नई और जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि चेन्नई में काफी संख्या में सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं तथा चेन्नई क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना है। आवेदक ने सूचित किया कि क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त ने उनके मामले को स्वीकार कर लिया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया कि एन्नोर और कट्टूपल्ली में नए टर्मिनल बन रहे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एन्नोर और कट्टूपल्ली जैसे आसपास के बंदरगाहों से उत्पन्न ट्रैफिक के आधार पर चेन्नई के आसपास सुविधाएं स्थापित करने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। सीबीईसी से भविष्य में प्रचालन के पहलुओं पर विचार करने और फिर कट्टूपल्ली एवं एन्नोर के लिए सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 23 : (नया प्रस्ताव)

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स विशाखापट्टनम पोर्ट लाजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/07/2017-इनफ्रा-I)

प्रस्ताव 31 मार्च, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/60/2017-ईआर दिनांक 10 अप्रैल 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। विकासक वांछित संगत दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 24 : (नया प्रस्ताव)

कलिंगनगर, जयपुर, ओडिशा में मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/25/2016-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 12 जून, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/103/2017-ईआर के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 30 अगस्त, 2017 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

पोत परिवहन मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। निदेशक (पोत परिवहन) ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर टिप्पणियां प्रस्तुत की जाएंगी। इस प्रकार सीबीईसी और पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 25 : (नया प्रस्ताव)

ग्राम नल्लूर, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, चेन्नई में मैसर्स सीहार्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/10/2017-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 23 मई, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 6 जून 2017 के माध्यम से अपनी

अनापत्ति से अवगत कराया है, तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता तथा सड़क पर परिणामी भीड़-भाड़ की वर्तमान समस्याओं की ओर आकृष्ट किया जाता है। साथ ही डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि के लिए हाल की घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सीएफएस की आवश्यकता की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है।

विकासक से लेआउट प्लान, सीएलयू, वचन पत्र (सर्वे नंबर को दर्शाते हुए गैर अधिग्रहण एवं गैर भारग्रस्तता के संबंध में) की प्रतीक्षा की जा रही है।

आईएमसी ने अपने दृष्टिकोण को दोहराया कि चेन्नई और जेएनपीटी में नए सीएफएस की स्थापना की इस समय सिफारिश नहीं की जानी है क्योंकि चेन्नई में काफी संख्या में सीएफएस पहले से ही काम कर रहे हैं तथा चेन्नई क्षेत्र में डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना है। आवेदक ने सूचित किया कि क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त ने उनके मामले को स्वीकार कर लिया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सूचित किया कि एन्नोर और कट्टूपल्ली में नए टर्मिनल बन रहे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आईएमसी ने राय व्यक्त की कि पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एन्नोर और कट्टूपल्ली जैसे आसपास के बंदरगाहों से उत्पन्न ट्रैफिक के आधार पर चेन्नई के आसपास सुविधाएं स्थापित करने के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है। सीबीईसी से भविष्य में प्रचालन के पहलुओं पर विचार करने और फिर कट्टूपल्ली एवं एन्नोर के लिए सभी ऐसे प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 26 : (नया प्रस्ताव)

बरही, जिला सोनीपत, हरियाणा में मैसर्स कोंकोर द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/12/2017-इनफ्रा-1)

प्रस्ताव 03 अगस्त, 2017 को मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया।

आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/133/2017-ईआर दिनांक 11 अगस्त 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

मैसर्स कोंकोर ने बताया कि यह सुविधा 71 एकड़ के कुल क्षेत्रफल तथा प्रस्तावित आईसीडी के लिए 4.16 हेक्टेयर के निर्धारित कस्टम बांडेड एरिया के साथ लाजिस्टिक्स सुविधा का अंग है। यह सुविधा एनसीआर के बाहरी क्षेत्र में निर्मित की जाएगी जिससे तुगलकाबाद में ट्रैफिक की समस्या दूर होगी।

मैसर्स कोंकोर से प्रस्ताव को पूरा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया गया। रेल मंत्रालय तथा सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

III. अवधि बढ़ाने के मामले (21)

एजेंडा नंबर 27 (अवधि बढ़ाने का मामला)

झरसूगुडा, ओडिशा में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/29/2014-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया कि धारा 7 (एए) के अंतर्गत अधिसूचना 25 जून 2017 को जारी हो चुकी है। धारा 8 और 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं अभी तक जारी नहीं हुई हैं। विकासक ने पत्र संख्या कोन/एसपी/आईएमसी-खंड-III/2016-17 दिनांक 18 अगस्त 2017 के माध्यम से 6 माह के लिए अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 12 जून, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 12 दिसंबर, 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 28 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या **16/31/2015-**इनफ्रा**-1)**

बैठक में मैसर्स कोंकोर ने बताया कि धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचना जारी हो चुकी है। विकासक ने पत्र संख्या कोन/एसपी/आईएमसी-खंड-III/2017-18 दिनांक 06 जून 2017 के माध्यम से 6 माह के लिए अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 04 अगस्त, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 04 फरवरी, 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 29 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

खपरी गांव, नागरपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र संख्या कोन/एसपी/आईएमसी-खंड-III/2017-18 दिनांक 6 जून 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि रेल कनेक्टिविटी के साथ परियोजना के पहले चरण का काम चल रहा है तथा जुलाई 2017 में पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। तथापि, अभी तक धारा 7, 8 और 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी नहीं हुई हैं, इसलिए 1 अगस्त 2017 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। आईएमसी ने 01 अगस्त, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 01 फरवरी, 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 30 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

चेन्नई में मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/14/2013-इनफ्रा-1)

सीडब्ल्यूसी ने पत्र संख्या सीडब्ल्यूसी-सीडी/XII-ओपन यार्ड एन्नोर/13-14/110/721ए दिनांक 26 अप्रैल 2017 के माध्यम से एक साल की अवधि के लिए दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। बैठक में विकासक ने बताया कि धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कानूनी विवाद का समाधान हो चुका है। आईएमसी ने 09 मार्च, 2017 के बाद 09 माह की अवधि के लिए अर्थात 09 दिसंबर, 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 31 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम मोटा कपाया, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स ऋषि कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 11 सितंबर 2017 (पत्र प्रभाग में है) के माध्यम से 14 मार्च 2017 के बाद एक साल की अवधि के लिए दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बैठक में बताया कि 80 प्रतिशत अवसंरचना कार्य पूरा हो गया है और वे डेढ़ महीने में शेष कार्य पूरा करना चाहते हैं। आईएमसी ने 14 मार्च 2017 के बाद 14 मार्च 2018 तक एक साल के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 32 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

औद्योगिक परिसर रानीगृथ, कश्मीर में जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/37/2005-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 22 नवंबर 2005 को एलओआई जारी किया गया था। अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है क्योंकि 24 मार्च 2017 तक 9वीं बार बढ़ाई गई अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। आईएमसी ने सुविधा स्थापित करने के लिए इसे विकासक की अनिच्छा के रूप में माना और निर्णय लिया कि इस संबंध में कारण बताओ नोटिस तामील किया जाएगा जिसमें परियोजना की स्थिति बताने के लिए कहा जाएगा क्योंकि एलओआई की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

एजेंडा नंबर 33 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

अट्टिबल, अनेकल तालुक, बंगलौर में मैसर्स पलरेचा इनफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपर्स द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/04/2011-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 17 जून 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि कस्टम अधिसूचनाएं, सीआरबी पद की तैनाती और ईडीआई कनेक्टिविटी लंबित हैं। बैठक में विकासक ने 9 माह के लिए अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, हालांकि शुरू में उन्होंने अपने उपर्युक्त पत्र में 6 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। आवेदक ने 9 माह की अवधि के लिए पत्र दिनांक 19 सितंबर 2017 के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत किया है। तद्नुसार, आईएमसी ने 30 जून 2017 के बाद 9 माह की

अवधि के लिए 31 मार्च 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 34 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम डिघोडे, उड़ान तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स सर्वेश्वर लाजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2010-इनफ्रा-1)

बैठक में कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पाया गया कि विकासक को संबोधित सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावा शेवा-1) के कार्यालय ने अपने पत्र संख्या ईडीआई/विविध-85/2016/जेएनसीएच दिनांक 18 सितंबर 2017 में सूचित किया है कि ईडीआई सीएफएस कोड आवंटित किया गया है, प्रति ईमेल से प्राप्त हुई है।

एजेंडा नंबर 35 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स सास्था वेयरहाउसिंग लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2013-इनफ्रा-1)

परियोजना के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। हालांकि विकासक ने 10 मार्च 2017 के बाद एक साल की अवधि के लिए तीसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए पत्र दिनांक 20 जून 2017 के माध्यम से वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया, अवधि बढ़ाने पर विचार न करने का निर्णय लिया गया।

एजेंडा नंबर 36 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

हिंडोन सिटी, जिला करौली, राजस्थान में मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/12/2012-इनफ्रा-1)

बैठक में आवेदक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विकासक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। आईएमसी ने निर्णय लिया कि चूंकि कई बार अवधि बढ़ाने के बावजूद सुविधा अभी तक क्रियाशील नहीं हुई है इसलिए अब कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

एजेंडा नंबर 37 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स कृभको इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/10-इनफ्रा-1)

बैठक में आवेदक का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विकासक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। आईएमसी ने निर्णय लिया कि चूंकि कई बार अवधि बढ़ाने के बावजूद सुविधा अभी तक क्रियाशील नहीं हुई है इसलिए अब कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

एजेंडा नंबर 38 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

बेटा, पटना, बिहार में मैसर्स प्रिस्टीन मगध लाजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/6/2013-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 10 जुलाई 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि अब अवसंरचना लगभग पूरी हो गई है तथापि, वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, उन्होंने 30 जून 2017 के बाद पुन: एक साल की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 30 जून, 2017 के बाद 09 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च, 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 39 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स इनोवेटिव कंटेनर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/05/2014-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2017 के माध्यम से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 12 अप्रैल 2018 तक दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि भराव का काम चल रहा है। आईएमसी ने सुविधा को पूरा करने में हुए विलंब को नोट किया और 12 अप्रैल 2017 के बाद 31 मार्च 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 40 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम अनुपमपट्टू, चेन्नई में मैसर्स सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/09/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 2 जून 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि वे कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि नम भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर से एनओसी तथा दक्षिण रेलवे से डीपीआर के अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए एक और साल के लिए अर्थात जून 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। आईएमसी ने टिप्पणी की कि आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएलयू पूर्वापेक्षा है। चूंकि विकासक ने अभी तक सीएलयू प्राप्त नहीं किया है। आईएमसी ने निर्णय लिया कि वर्ष 2012 में जारी की गई एलओआई निरस्त की जाए। तथापि, विकासक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नया आवेदन कर सकता है यदि वह आवेदन करना चाहे।

एजेंडा नंबर 41 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम काचरकानाहल्ली, बंगलौर में मैसर्स सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/07/2012-इनफ्रा1)

आईएमसी ने टिप्पणी की कि आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएलयू पूर्वापेक्षा है। चूंकि विकासक ने अभी तक सीएलयू प्राप्त नहीं किया है, इसलिए आईएमसी ने निर्णय लिया कि वर्ष 2012 में जारी की गई एलओआई निरस्त की जाए। तथापि, विकासक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नया आवेदन कर सकता है यदि वह आवेदन करना चाहे।

एजेंडा नंबर 42 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

मदुरै, तमिलनाडु में मैसर्स कर्ण एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/02/2016-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 24 जून 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने अवसंरचना का काम लगभग पूरा कर लिया है। बैठक में विकासक ने बताया कि धारा 7 (एए), 8 और 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं तथा डीजीएचआरडी द्वारा सीआरबी पद संस्वीकृत किए जा चुके हैं। आईएमसी ने 04 अगस्त, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 04 फरवरी, 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 43 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

कापसहेड़ा, नई दिल्ली में मैसर्स कंटीनेंटल कैरियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 23/02/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र संख्या सीसीपीएल/एएफएस/01/01/2017-18 दिनांक 07 जुलाई 2017 के माध्यम से 8 अगस्त 2017 के बाद एक साल की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय ने सलाह दी कि बीसीएएस के दिशानिर्देशों जो सुविधा के लिए अनिवार्य हैं, के अनुसार उपकरणों के प्रापण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिस पर विकासक ने बताया कि यह कार्य हो चुका है। आईएमसी ने 08 अगस्त, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 08 फरवरी, 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 44 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/33/2015-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। पाया गया कि एलओआई का पहला विस्तार 28 जुलाई 2017 तक वैध था। विकासक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। कोई अग्रेतर विस्तार प्रदान नहीं किया गया।

एजेंडा नंबर 45 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

हैदराबाद, तेलंगाना में मैसर्स तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कार्पोरेशन द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/08/2009-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। पाया गया कि एलओआई का पिछला विस्तार (पांचवां) 31 अगस्त 2017 तक वैध था। विकासक से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। कोई अग्रेतर विस्तार प्रदान नहीं किया गया।

एजेंडा नंबर 46 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

अयानादियप्पू, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में मैसर्स प्राम्प्ट टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/07/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि अवसंरचना लगभग पूरी हो गई है, वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 और 45 के अंतर्गत कस्टम अधिसूचना जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, उन्होंने 14 सितंबर 2017 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएमसी ने 14 सितंबर, 2017 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 14 मार्च, 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 47 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

हजीरा, गुजरात में मैसर्स हजीरा कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/08/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने ईमेल दिनांक 7 सितंबर 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि चारदीवारी के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बैठक में विकासक ने बताया कि प्रस्तावित सुविधा तराई क्षेत्र में है। उन्होंने मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया है जो बहुत बढ़ा कार्य है। साइट पर बरसाती पानी भी जमा हुआ है। आईएमसी ने 14 सितंबर, 2017 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 14 मार्च, 2018 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 48 : (समीक्षा का मामला-1)

देवनहल्ली, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में मैसर्स पर्ल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एएफएस की स्थापना के लिए मंजूरी पत्र (एलओए) की समीक्षा (फाइल संख्या 16/37/2014-इनफ्रा-1)

14 सितंबर 2015 को एलओए जारी किया गया, इसके बाद एक साल की अवधि के लिए 14 सितंबर 2017 तक एक विस्तार प्रदान किया गया। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-13011/03/2013-ईआर दिनांक 28 अगस्त 2014 के माध्यम से जारी किए गए एएफएस के नीतिगत दिशानिर्देशों में निम्नानुसार उल्लेख है :

"मंजूरी पत्र *(एलओए)* वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। यह एक साल की अवधि के लिए वैध होगा और यदि विस्तार के लिए वैध औचित्य होगा तो आईएमसी द्वारा एक और साल के लिए अग्रेतर विस्तार पर विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाई गई अवधि के अंदर प्रचालन शुरू नहीं होते हैं तो उस संस्था को जारी किए गए एलओए को अमान्य समझा जाएगा।"

आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि विकासक को नागर विमानन मंत्रालय के पत्र का जवाब देना है जिसके कारण अवसंरचना में प्रगति का भी सुनिश्चय नहीं किया जा सका। आईएमसी ने निर्णय लिया कि नागर विमानन मंत्रालय अवधि बढ़ाने पर किसी अग्रेतर विचार विमर्श से पूर्व दिशानिर्देशों की जांच कर सकता है।

IV. विविध मामले (1) :

एजेंडा नंबर 49 : (अवधि बढ़ाने का मामला)

ग्राम थाटीपार्टी पालेम, वेंकटाचलम मंडल, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में सीएफएस के प्रचालनों को शुरू करना - मैसर्स गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड (फाइल संख्या 16/01/2016-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने नोट किया कि प्रस्तावित सुविधा क्रियाशील हो गई है।

****